विकास संबंधी असमर्थताओं के लिए राज्य परिषद (State Council on Developmental Disabilities, SCDD) के पास यह सुनिश्चित करने का एक मिशन है कि बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों और उनके परिवारों को वे सूचनाएँ, सेवाएँ और समर्थन प्राप्त हों जिनकी उन्हें कैलिफोर्निया (California) राज्य में अपनी पसंद के समुदायों में पूर्ण, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यकता है।

विकास संबंधी असमर्थताओं के लिए राज्य परिषद इस बात की सराहना करती है कि आप में से कई लोगों ने उनके स्टेट प्लान सर्वेक्षण का जवाब दिया। ऑनलाइन और सामुदायिक प्रशिक्षण और समारोहों के माध्यम से कुल 6,329 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं (सर्वेक्षण अंग्रेजी के अलावा, 17 अलग-अलग भाषाओं में प्रदान किए गए)। सभी प्रतिक्रियाओं को परिषद के डेटाबेस (क्वाल्ट्रिक्स) में दर्ज किया गया था और उन मुद्दों की पहचान करने के लिए विश्लेषण किया गया था जो कैलिफोर्निया में बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों, उनके परिवारों और अन्य लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे।

सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं से पता चला कि लोग रोज़गार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य/सुरक्षा के क्षेत्रों के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे। बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों ने कहा कि रोज़गार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। कर्मचारियों को 496 केवल स्पैनिश वाले सर्वेक्षणों सहित 1,530 हिस्पैनिक/लातीनी सर्वेक्षण प्राप्त हुए। स्पेनिश भाषी लोगों के लिए, शिक्षा उनकी सबसे महत्वपूर्ण चिंता थी।

परिषद के काम के लिए संघीय आवश्यकताओं के आधार पर, प्रस्तावित लक्ष्यों को तीन (3) क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: स्वयं अधिवक्ता, सिस्टम परिवर्तन/वकालत, और क्षमता-निर्माण/वकालत। राज्य योजना के उद्देश्यों के लिए, कर्मचारियों ने उस प्रकार के काम का विश्लेषण किया जो कैलिफोर्निया में लोगों ने परिषद को करने के लिए कहा है। इस काम में प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, विशेष कार्यक्रम और परियोजनाएं और जानकारी और संसाधन प्रदान करना शामिल था। नीति, विशेष परियोजनाओं और प्रणालियों में बदलाव के लिए, समिति के सदस्यों ने रोज़गार, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य/सुरक्षा के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के लिए, परिषद कर्मचारी उन सभी क्षेत्रों में जानकारी, प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करेंगे जो विकलांग लोगों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

परिषद जितनी गतिविधियाँ करने की योजना बना रही है और लोगों तक पहुँचने की उनकी योजना लोगों की संख्या पर आधारित है: 1) पिछले पांच (5) वर्षों में पूरे किए गए काम का विश्लेषण, प्रदान की गई गतिविधियों की संख्या और लोगों तक पहुंच सहित; 2) परिषद के स्टाफ की क्षमता और उपलब्ध संसाधन; और, 3) परिषद की वार्षिक कार्य योजना का विकास और कार्यान्वयन। राज्य योजना के उद्देश्यों के प्रत्येक प्रारूप में प्रदान की गई संख्याएं अगले (2022-26) राज्य योजना अवधि के पांच (5) वर्षों में फैलाई जाएंगी।

सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं के आधार पर (हजारों टिप्पणियों के साथ) और परिषद के स्टॉफ द्वारा किये गये अनुसंधान के आधार पर, परिषद की राज्य योजनाकार समिति ने अपनी इस राज्य योजना को प्रस्तावित किया है। परिषद अब अपनी प्रस्तावित 2022-26 कैलिफोर्निया राज्य योजना पर जनता की समीक्षा और राय की मांग कर रही है। जनता की राय करने की अवधि 45 दिनों के लिए खुली रहेगी।

प्रस्तावित 2022-26 राज्य योजना

लक्ष्य 1: स्वयं अधिवक्ता

परिषद बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों को स्वयं अधिवक्ता, समकक्ष प्रशिक्षक और सामुदायिक अग्रणी बनने के लिए सशक्त बनाएगी।

लक्ष्य 1

परिषद 1250 स्वयं अधिवक्ताओं को निम्न में सशक्त बनाने के लिए जानकारी, संसाधन और 125 प्रशिक्षण प्रदान करेगी:

1) उन सहायताओं और सेवाओं की पहचान करना और मांग करना जिनकी उन्हें आवश्यकता है;

2) समकक्ष प्रशिक्षक बनने और सेवा करने; और

3) विकासशील कौशल और उन मुद्दों के लिए मजबूत कार्यकर्ताओं के रूप में संलग्न होने के अवसर जो उनके और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

लक्ष्य 2

परिषद कम से कम 1 राज्य व्यापी और 12 क्षेत्रीय स्वयं अधिवक्ता संस्थाओं के माध्यम से 6,000 स्वयं अधिवक्ताओं तक पहुंच, सुविधा, मूर्त सहायता और समकक्ष वकालत/नेतृत्व के अवसर प्रदान करके सहकर्मी नेटवर्क में स्वयं अधिवक्ताओं का समर्थन करेगी।

लक्ष्य 2: प्रणालियों में बदलाव/वकालत

परिषद नागरिक अधिकारों की रक्षा करने और बेहतर बनाने और बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों और उनके परिवारों के साथ लोगों को और अधिक पूरी तरह से समावेशी और सहायक होने के लिए परिवार/स्वयं अधिवक्ताओं और अन्य लोगों के साथ साझेदारी में नेतृत्व करेगी।

लक्ष्य 1

परिषद 30 केंद्रों, 15 नीतियों और 10 विनियमों (या मार्गदर्शन) और/या क्षेत्रीय केंद्रों, सामुदायिक-आधारित सेवाओं और सरकारी संस्थाओं की व्यवस्था में विकास, सुधार और/या परिवर्तन करेगी। इस कार्य में रोज़गार, शिक्षा, आवास, और स्वास्थ्य/सुरक्षा के क्षेत्र शामिल होंगे जो बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों को लाभान्वित करेंगे और उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, पूर्ण समावेश को बढ़ावा देंगे, और/या मूर्त तरीके से अतिरिक्त सहायता और सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे उनके जीवन में सुधार होगा।

लक्ष्य 2

परिषद 20 क्षेत्रीय और 5 राज्य व्यापी अभिनव/विशेष परियोजनाओं और/या रोज़गार, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य/सुरक्षा के क्षेत्रों में समारोहों में निम्न के लिए संलग्न करेगी:

1) प्रणालियों में बदलाव के प्रयासों में 5,000 लोगों (परिवार/स्वयं अधिवक्ताओं और अन्यों) को सशक्त बनाने और उन्हें प्रभावी अधिवक्ता बनने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए जानकारी, कौशल और/या समर्थन देने के लिए; और/या

2) बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों और उनके परिवारों के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए सेवाओं में वृद्धि करने के लिए।

लक्ष्य 3

परिषद, कैलिफोर्निया के चार (4) संघीय साझीदारों (एक संरक्षण और वकालत करने वाली एजेंसी और विकासात्मक विकलांगता में उत्कृष्टता के लिए तीन विश्वविद्यालय केंद्र) के सहयोग से, राज्य योजना में महत्व के एक क्षेत्र, जैसे कि शिक्षा, रोज़गार, आवास, स्वास्थ्य या सुरक्षा का चुनाव करके और यह रिपोर्ट करके कि वर्तमान में सामान्य सेवा प्रणाली(लियाँ) किस तरह से बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों की सेवा कर रही है (उन दोनों लोगों सहित जिनकी रीजनल सेंटर सिस्टम द्वारा सेवा की जाती है और जिनकी सेवा नहीं की जाती), प्रणाली(लियों) में सर्विस डिलीवरी में अंतराल, डीडी एक्ट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें, और नीति और अभ्यास परिवर्तनों का पालन करके जेनेरिक सेवा प्रणाली(लियों) का आकलन करेगी जो बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों को प्रभावित करती है।

यह सहयोग 2 रिपोर्टों, नीति या अभ्यास परिवर्तन के लिए 6 सिफ़ारिशें और नीति या अभ्यास में 2 परिवर्तन होंगे।

लक्ष्य 3: क्षमता का निर्माण/वकालत

परिषद बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों और उनके परिवारों के साथ साझेदारी करेगी ताकि उन्हें उनके अधिकारों का पता हो और वे समर्थन और सेवाओं की वकालत कर सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें।

लक्ष्य 1

परिषद पूरे राज्य में (कर्मचारी-नेतृत्व, सहकर्मी-नेतृत्व वाले और/या सहयोगी) 60,000 लोगों (परिवार/स्वयं अधिवक्ताओं/अन्य) को प्रशिक्षण प्रदान करेगी - वस्तुतः, ऑनलाइन और/या व्यक्तिगत रूप से - और तकनीकी सहायता (टीए)/वकालत क्लीनिक, सहायता और सेवाओं की पहचान करने और प्राप्त करने के लिए सहायता और संसाधनों के साथ 50,000 लोगों तक पहुंचना, जो बौद्धिक/विकासात्मक असमर्थताओं वाले लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेंगे।

लक्ष्य 2

परिषद उनके ज्ञान को बढ़ाने और समर्थन और सेवाएँ, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, तक पहुंचने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सूचना और संसाधनों वाले 25,000 लोगों (परिवार/स्वंय अधिवक्ताओं/अन्य) तक पहुंचने वाले रोज़गार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य/सुरक्षा के क्षेत्रों में 100 परियोजनाओं और समारोहों में संलग्न होगी।

लक्ष्य 3

नि:शुल्क, उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने में असमानताओं को कम करने के लिए, परिषद पूरे राज्य में 5,000 स्पैनिश-भाषी परिवार/स्वंय अधिवक्ताओं के साथ काम करेगी और उनके द्वारा उनकी अपनी स्थानीय शिक्षा एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त विशेष शिक्षा सेवाओं की संख्या और प्रकार/गुणवत्ता बढ़ाने की वकालत करेगी।

कृपया अपनी राय बताएँ: